संख्या:45/2026/1512/ सत्रह-म-2026(C.N1757818

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनाकः 02 सितम्बर अगस्त, 2026

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष अन्तर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा को वैवाहिक सहायता एवं मत्स्य पालक कल्याण कोष अन्तर्गत मत्स्य पालक/ मछुआ परिवारों के अध्ययनरत पूर्व दशम के छात्रों को शिक्षा सहायता के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 477/नि0शा0/उ0प्र0म0पा0क0को0/2026-27 दिनांक 07.08.2026 एवं पत्र संख्या- 479/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2026-27 दिनांक 10.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा को वैवाहिक सहायता एवं मत्स्य पालक/ मछुआ परिवारों के अध्ययनरत पूर्व दशम के छात्रों को शिक्षा सहायता के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 1 /2025/128/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 23 जनवरी 2025 के (प्रस्तर-2 (अ) एवं प्रस्तर-2 (ब) मे संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण' कोष के क्रियान्ययन हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 1 /2025/128/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 23 जनवरी 2025 के (प्रस्तर-2 (अ) एवं प्रस्तर-2 (ब) में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

शासनादेश संख्याः 1/2025/128/सत्रह-म-2025-17-1099/55/ 2021 दिनांक 23 जनवरी 2025 के

शासनादेश प्रस्तर संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2 (अ)	1.1 मत्स्य पालक/मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या -161/2017/44वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर 2017, शासनादेश संख्या -149/2018/ 2082/26-3-2018-4(188)/93टी0सी0 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 27 जून 2018, शासनादेश संख्या -40/2019/625/26-3-2019-	1.1 मत्स्य पालक/मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या -173/2025/1282/26-3-2025-1572678, समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2025, द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मार्ग निर्देश/

	4(188)/93टी0सी0 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मार्ग निर्देश/मानक/ निर्धारित धनराशि के अनुसार एक जोड़े पर कुल रु0 51000.00 धनराशि एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों/धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक/मछुआ परिवार की ऐसी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या वैवाहिक सहायता संबंधी अन्य किसी योजना से लाभान्वित नही हुए हों। 1.2 पात्रता हेतु मानकः 1.2 (1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार,मांझी,गौंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुडा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।	मानक/निर्धारित धनराशि के अनुसार एक जोड़े पर कुल रु0 100000.00 धनराशि एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों/धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक/मछुआ परिवार की ऐसी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या वैवाहिक सहायता संबंधी अन्य किसी योजना से लाभान्वित नही हुए हों। 1.2 पात्रता हेतु मानकः 1.2 (1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह,निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गौंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुडा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। 1.2(4) कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। 1.2(5) कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरुरतमन्द हो। 1.2(6) वैवाहिक सहायता हेतु पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। 1.2(7) कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद/ तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। 1.2(8) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को

1.3 वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि: वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि का विवरण निम्नवत है:	1.3 वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि: वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत

क्र0	मद	धनराशि (रू० में)
1	कन्या के खाते मे (दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि)	35000
2	विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री पर व्यय (कपड़े ,पायल , बिछिया ,कम से कम 07 बर्तन आदि)	10000
3	कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय (भोजन ,पंडाल ,फर्नीचर ,विददुत/ प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु)	6000
	योग	**51000**

क्र0	मद	धनराशि (रू० में)
1	कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया - 60,000/- (रू० साठ हजार मात्र) कन्या के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरित की जायेगी।	60000
2	वैवाहिक उपहार	25000
3	कार्यक्रम आयोजन हेतु	15000
	योग	**100000**

1.5 अन्य बिन्दु : 1.5(1) आवेदक के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।	1.5 अन्य बिन्दु : 1.5(1) आवेदक को विवाह प्रमाण पत्र के रूप में 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
1.5(4) जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त/श्रम विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं	1.5(4) जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी / पिछड़ा वर्ग

जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
1.2(9) विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

धनराशि का विवरण निम्नवत है:
उपर्युक्त धनराशि का व्यय समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-173/2025/1282/26-3-2025-1572678, समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2025 के प्रस्तर संख्या-3 के अनुरूप रहेंगे।

	अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी यदि संबंधित हो, से सत्यापित कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या उनके विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजनान्तर्गत चयनित/लाभान्वित नहीं है।	कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त /श्रम विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी यदि संबंधित हो, से सत्यापित कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या उनके विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजनान्तर्गत चयनित / लाभान्वित नहीं है। 1.5(5) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/ 55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में प्रस्तर 2(1-20) तथा शासनादेश संख्याः 1/2025/128/ सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 23 जनवरी 2025 में उल्लिखित प्रावधान भी प्रभावी रहेंगे।

शासनादेश प्रस्तर संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(ब)	पूर्व दशम् छात्रों (कक्षा 9-10) हेतु छात्रवृत्ति वर्तमान में लागू नहीं	पूर्व दशम् छात्रों (कक्षा 9-10) हेतु छात्रवृत्ति: शासनादेश संख्या दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा में शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि) अंतर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा परिवार के अध्ययनरत् छात्रों को शिक्षा हेतु सहायता शासनादेश संख्या :4/2016/170/64-2-2016-1(141)/ 2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016 ,के साथ संलग्न नियमावली कार्यालय ज्ञाप संख्या : 169/64-2-2016-1(141)/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016, शासनादेश संख्या -22/2016/ 536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 19 अगस्त 2016 व उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1 (छात्रवृत्ति)/ 2013 दिनांकः 08 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय-ज्ञाप द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) दशमोतर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 मे निहित प्रावधानों / नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित मानकों /निर्धारित धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआरा परिवार के अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता अंतर्गत पूर्व दशम् (कक्षा 9 -10) हेतु छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाएगा जिन्हे इस हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार /भारत सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति या कोई सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो, को निम्न शर्तों/ प्रतिबंधों के

		अधीन प्रदान की जा सकेगी। 2. पात्रता हेतु मानक एवं अर्हता: 2.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। 2.2 आवेदक मछुआ के रूप में कल्याण कोष के शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में परिभाषित 12 उपजातियां केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, के अध्ययनरत् पात्र आवेदक इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2.3 आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की समस्त सोतों से वार्षिक कुल आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो। 2.4 आवेदक, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति या सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो, ही पात्र होगे। 2.5 उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । 2.6 आवेदक को आवेदन के साथ अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाचार्य /जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि छात्र को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है न ही छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 2.7 आवेदक उत्तर प्रदेश में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पूर्व दशम कक्षाओं (कक्षा 9-10) में संस्थागत छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो , ही पात्र होंगे । 2.8 आवेदक को आवेदन के समय अध्ययनरत शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत होने का पंजीयन संख्या सहित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । 2.8 आवेदक को आवेदन के समय अध्ययनरत शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत होने का पंजीयन संख्या सहित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । 3. छात्रवृत्ति का मूल्य: सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित देय धनराशियां सम्मिलित होंगी:- (क) ₹ 150/- प्रति माह, अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जाएगा । (ख) वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में ₹ 750/- एकमुश्त देय होगी । उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित संशोधित मानक के अनुसार परिवर्तनीय होगा। 3.1 छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थानों की वरीयता क्रम का निर्धारण: (i) छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

(ii) सीमित वित्तीय संसाधन/बजट प्रावधान के दृष्टिगत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरांत नए छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि निम्नलिखित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

(क) सर्वप्रथम राज्य अथवा केंद्र सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।

(ख) तत्पश्चात् शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।

(ग) तत्पश्चात् अवशेष बजट से निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।

(iii) उपरोक्त वरीयता क्रम के अन्दर बजट में धनराशि अपर्याप्त होने पर निम्नानुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी :-

(क) छात्रवृत्ति का वितरण नाम के अल्फाबेटिक क्रम (A to Z) में किया जायेगा।

(ख) एक ही अल्फाबेटिक क्रम होने पर अधिक आयु वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी।

(ग) नाम का अल्फाबेटिक कम एवं आयु एक समान हाने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।

(iv) सर्वप्रथम किसी शैक्षिक संस्थान में कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में जाने वाले छात्रो (रिन्यूवल) को छात्रवृत्ति दी जायेगी, उसके बाद कक्षा 9 अथवा कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले (फ्रेश) को उपरोक्त वरीयता क्रम में छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

(v) भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को इस योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा।

<u>4. अन्य बिन्दु :-</u>

4.1 एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.2 अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4.3 आवेदक को सक्षम स्तर से निर्गत जाति एवं आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4.4 आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा प्रदेश में समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग व अन्य किसी विभाग या योजना तथा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत उसे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है/न ही स्वीकृत हुई है।

4.5. जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि भुगतान के पूर्व संबंधित विभाग (अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग, संबंधित शिक्षण संस्थान) से यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदनकर्ता छात्र को कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, न ही स्वीकृत हुई है एवं छात्र संस्थान में पंजीकृत है।

4.6 कार्यक्रम / योजना का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। योजना का

		क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम योजना का अनुश्रवण किया जाएगा। 4.7 उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-109955/ 2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में प्रस्तर 2(1-20) में उल्लिखित प्रावधान भी प्रभावी रहेंगे।

3- शासनादेश संख्याः 1 /2025/128/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021 दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश में संशोधन के सबंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य/शर्तों/मानकों के निर्धारण/संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करेगें।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 25-08-2026 19:02:42

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या-५९/2026/1512(1)/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/वित्त/कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य प्रसंस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 01-09-2026 18:50:05

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।